न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 47/2019 (RCMS : 2019/00085) अनवान् 1. शांति पुत्री भजनलाल 2. हनुमान पुत्र भजनलाल 3. इन्द्र पुत्र भजनलाल 4. राधा पुत्री भजनलाल 5. गोमती पुत्री भजनलाल 6. कोमल पुत्री भजनलाल 7. रेखा पुत्री भजनलाल जाति सुथार निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्तयारेआम कालूराम पुत्र भजनलाल जाति सुथार निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. प्रदीप कुमार, उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर 2. भूपराम पुत्र रामकरण 3. वीरेन्द्र कुमार पुत्र भूपराम 4. रामगोपाल पुत्र देवीलाल 5. कृष्णलाल पुत्र देवीलाल जाति सुथार निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

23.09.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं. 04/2013 अनवानी भूपराम आदि बनाम रामगोपाल आदि अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर